

3

प्रति,

श्री ज्योति नारायण,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन।

मेरा है,

प्रति,
श्री ज्योति नारायण,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय: 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 1/ दिसम्बर, 1993

विषय:- देहरादून जिला स्थायी देहरादून की सीमाओं पर निर्धारित है
सम्बन्धी अनुदानित प्रमाण के लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री वर कले का निदेश हुआ है कि देहरादून जिला
स्थायी देहरादून की सीमाओं पर निर्धारित है सम्बन्धी प्रमाण के लिए जाने में
आ राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं के अन्तर्गत नहीं है।

- 1.11 विद्यालय की प्रौद्योगिकीयता का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा।
- 1.12 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा।
- 1.13 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठान स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश
सांख्यिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विभिन्न
कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 1.14 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय सांख्यिक शिक्षा परिषद से
वैयक्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धी राष्ट्रीय सांख्यिक शिक्षा परिषद/अन्य अन्य विद्यालय
सम्बन्धी निर्देशक द्वारा निर्धारित नहीं निर्धारित है प्राप्त होती है तो
उन परीक्षा परिषदों से सम्बन्धी प्रमाण होने की तारीख से परिषद
से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा सम्पत्ति की जायेगी।
- 1.15 शिक्षा के लिए सभी शिक्षित कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त
सिख्य संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित कर्मचारियों तथा अन्य
कर्मचारियों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 1.16 कर्मचारियों की सेवाओं कायदा कायदा और उन्हें सहायता प्राप्त
आवश्यकता अनुसार साक्षात् विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित



17। राज्य सरकार द्वारा तब तक समय पर की भी इच्छित निर्मित
किए जायेंगे, और उम्मीद है कि वे सफल होंगे ।

18। विद्यार्थियों का शिक्षा के निर्धारित प्रमाण/सिद्धांतों में रखा जायेगा

19। उम्मीद है कि राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई
सिद्धांत/सिद्धांत या प्रारम्भिक नहीं किया जायेगा ।

2- प्रारम्भिक परीक्षा की होगी कि संस्था द्वारा किसी प्रकार प्रवेश प्राप्त
तथा प्रवेशार्थी प्रमाण प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ही के पूर्व प्राप्ति
द्वारा की पुनर्निर्माण किया जायेगा ।

3- उम्मीद है कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए प्रारम्भिक परीक्षा की जाएगी
यदि किसी तब तक रखा जाता है कि संस्था द्वारा उम्मीद है कि प्रारम्भिक परीक्षा का
प्रमाण नहीं किया जा रहा है उम्मीद है कि प्रमाण प्राप्त करने में किसी प्रकार की प्रतीति
प्रारम्भिक परीक्षा का रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक प्रमाणित
प्रमाण पर आधारित किया जायेगा ।

संस्था,

संस्था के नाम पर
उप निर्माण ।

पृष्ठ 3 अंक 111/15-7-1 93 तदुद्दिष्ट

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए प्रमाणित की आवश्यकता है
प्रमाण :-

- 1- शिक्षा निर्माण, उत्तर प्रदेश, भारत ।
- 2- संस्था के उप शिक्षा निर्माण, प्रवेश परीक्षा, प्रमाण ।
- 3- शिक्षा निर्माण निर्माण, भारत ।
- 4- निर्माण, भारत भारतीय शिक्षा निर्माण उत्तर प्रदेश, भारत ।
- 5- प्रमाण, भारत शिक्षा निर्माण, भारत ।

संस्था,

संस्था के नाम पर
उप निर्माण ।

